13-12-2014 वादीगण सहित श्री आर.आर.पटले अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 सहित श्री जे.पी.कटरे अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक-6 अनिर्वाहित 📈

प्रकरण राष्ट्रीय एवं मेगा लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, जिसके आधार पर उक्त व्यवहार वाद नहीं चलाना चाहते हैं। अतः उक्त समझौते के आधार पर प्रकरण को समाप्त किया जावे। अतएव राजीनामा अनुसार प्रकरण समाप्त किया जावे ।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण एवं आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

राजीनामा आवेदन के समर्थन में सभी पक्षकारगण ने अपने राजीनामा कथन पेश किये है तथा राजीनामा आवेदन अनुसार रवैच्छया से राजीनामा स्वीकार किये जाने के कथन किये है।

र्रभयपक्ष ने लोक अदालत के समक्ष सहमति पत्र व डाकेट फार्म भी भरकर प्रस्तुत किया है।

🍄 ऐसी दशा में राजीनामा आवेदन के अनुसार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभयपक्ष ने स्वैच्छया से राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। प्रस्तृत राजीनामा स्वीकार किये जाने पर कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। उभयपक्ष की पहचान श्री आर.आर.पटले एवं जे.पी.कटरे अधिवक्ता ने की है। अतएव आवेदन पत्र सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र के अनुसार समाप्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क वापसी हेतु नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जावे। 🔨

म दर्ज किया जागेर भेजा जावे। (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर प्रकरण का परिणाम व्यवहार पंजी अ' में दर्ज किया जावे तथा प्रकरण समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।